

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 257 / 2012 / भीलवाडा

मैसर्स ओमकार इण्डस्ट्रीज, भीलवाडा।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
करापवंचन-द्वितीय, बांसवाडा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 04.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 14.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन द्वितीय, बांसवाडा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 के जरिये कायम की गयी शास्ति रुपये 4,22,224/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम, बांसवाडा द्वारा एन.एच. खजूरी, डुंगरपुर पर उक्त वाहन की चैकिंग की गई। करापवंचन का वाद दर्ज करने के पश्चात प्रकरण नियमानुसार सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उक्त वाहन में लदे माल पोलिस्टर यार्न के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट-47 के पार्ट-ए का कॉलम संख्या 3 पार्ट बी के कॉलम संख्या 2,3,4 रिक्त है तथा प्रेषक के हस्ताक्षर दिनांक एवं स्थान भी अंकित नहीं है। फार्म नियत स्थान पर पंच किया हुआ नहीं है। जो कि धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन है। सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, उक्त कमियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी पर धारा 76(6) के तहत माल कीमतन 14,07,414/- रुपये पर 30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई। उक्त

लगातार.....2

आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त निरीक्षण माल से संबंधित समस्त दस्तावेज (वांछित धारा 76(2) के अनुसार) खरीद बिल, बिल्टी, एक्साइज दस्तावेज एवं घोषणा पत्र वैट-47 पेश कर दिये गये थे। माल की कीमत (पोलीस्टर यार्न) रूपये 14,07,414/- थी, प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित थी, किसी भी प्रकार का कोई भी बोगस या गलत या कूटरचित दस्तावेज पेश नहीं किया गया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा यह आक्षेप लगा कर कि प्रस्तुत वैट-47 नम्बर 7867060 के पार्ट-ए का कॉलम संख्या 3 पार्ट बी के कॉलम संख्या 2,3,4 रिक्त है, धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की है जो कि न्यायोचित नहीं है। धारा 76(6) के तहत शास्ति धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आरोपित की जाती है, अपीलार्थी ने धारा 76(2)(बी) के तहत वांछित समस्त दस्तावेज, घोषणा पत्र, वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये थे, मात्र इस आधार पर वैट-47 के कुछ पार्ट/कॉलम रिक्त है, शास्ति आरोपण विधि सम्मत नहीं है, वैट-47 के कॉलम रिक्त रहने का कारण लिपीकीय भूल हो सकती है और इस भूल को तकनीकी भूल माना जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्ण जांच कराई जा सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है और बिना किसी उचित आधार के धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई है, जो कि उचित नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम रेबी कॉस्टिंग प्रा0लि0, भिवाडी व अन्य (2013) 37 टीयूडी पेज 74 (रा.उ.न्या.), वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनस, वो. 35 पार्ट 6 टैक्स अपडेट पृष्ठ 189 (रा.उ.न्या.), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हिन्दुस्तान लिवर लि0 वो. 37 टीयूडी पृष्ठ 283 के दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मात्र कतिपय अमहत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित नहीं करने व घोषणा पत्र को पंच नहीं करने के आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त चैकिंग प्रस्तुत वैट-47 में कतिपय कॉलम खाली पाये गये एवं महिने के कॉलम को भी पंच

W

लगातार.....3

नहीं किया गया, जो कि धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन है। यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2007 एसीटीओ बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्ड. बनाम सीटीओ से आच्छादित है अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन के साथ समस्त दस्तावेज मय वेट 47 पाया गया, जिसमें संब्यवहार की प्रकृति परिवहित वस्तु का नाम घोषणा पत्र में नहीं पाया गया एवं महिने के कॉलम को पंच करना भी नहीं पाया गया यह अविवादित तथ्य है परन्तु अन्य समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र में अंकित है चूकि घोषणा पत्र पूर्णतया खाली नहीं है अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में दिये गये निर्णय हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है। क्योंकि वाहन के साथ धारा 76(2) के तहत वांछित समस्त अन्य दस्तावेज यथा इन्चायस, बिल्टी तथा नियम 53 के तहत विहित घोषणा पत्र वेट 47 संलग्न है एवं इसमें Material Particular भी अंकित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2013 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम रेबी कॉस्टींग प्रा०लि०, भिवाडी व अन्य (2013) 37 टीयूडी पेज 74 (रा.उ.न्या.) में निम्न प्रकार से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

“ When we go by the aforesaid judgment rendered by the Hon'ble Apex Court, what would be “material particulars” according to me, would be filling in columns where quality, weight, description on the goods and value is required to be clearly filled in and stated. In the said judgment, at one place, the Hon'ble Apex Court has also mentioned about filling of value in the declaration as important, so if all these are filled in, in the declaration form ST-18A then according to me, all other particulars though may be important but will not be relevant for imposition of penalty in a case like this. In the present case, only invoice number and date was left to be filled in and according to me, in so far as the present case is concerned, it is distinguishable to the judgment rendered by the Hon'ble Apex Court. When all other relevant columns i.e. “material particulars” in the light of the judgment of the Hon'ble Apex Court in the case of Guljag Industries (supra) were filled in therefore, in my view, in the present case, I come to the conclusion that merely not filling in the invoice number and date will not fall in the category of “material particulars” as defined by the Hon'ble Apex Court in the case of Guljag Industries (supra).

Had other material particulars not being filled in, possibly the argument advanced by the counsel for the petitioner department that the form could have been re-used but when all “material particulars” namely quality weight, description of the goods, value, name of the transporter, name of the consignor and consignee had been duly filled in, apprehension of the department that the form could have been re-used, is not sustainable. Only because invoice number and date was left to be filled in, in my opinion the form could not have been re-used. Therefore, in my view, judgment of the Hon'ble Apex Court in Guljag Industries (supra) in so far as the present facts and circumstances are concerned, is nov applicable and distinguishable.”

लगातार.....4


W

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं विद्वान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्य दृष्टान्तों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यदि घोषणा पत्र में "material particulars" अंकित है तो उक्त घोषणा पत्र को दुबारा प्रयोग में लाने की स्थिति नहीं रहती है अतः इस पर शास्ति आरोपण नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत घोषणा पत्र में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पता एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित है तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम, वाहन संख्या, बिल्टी संख्या एवं दिनांक अंकित है, साथ ही माल के पैकेज संख्या व वजन तथा इन्वॉयस संख्या अंकित है। माल प्रेषिति एवं प्रेषक दोनों के हस्ताक्षर भी अंकित है अर्थात् घोषणा पत्र में "material particulars" अंकित है। जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी ने किसी प्रकार से जांच कर प्रस्तुत दस्तावेजों को असत्य एवं बोगस नहीं ठहराया है।

7. उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में जबकि जांच के दौरान परिवहित माल के साथ संलग्न घोषणा पत्र में "material particulars" अंकित हो तो शास्ति आरोपण विधिनुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्तानुसार अवर अधिकारियों के आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।


4.10.2014
(मदन लाल)
सदस्य